



फर्द अहकाम

दालय सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आमेट जिला राजसमंद

संख्या :- शीर्षक :-

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर/सूचना न.

22/10/25 :- पत्रावली पेशी वादी की तरफ से कोर्ट उपस्थित नहीं। न्यायालय के सहायक कर्मचारी से बार-बार आवेक लगावायी गयी किन्तु नती वादी स्वयं उपस्थित और नहीं उनके अधिवक्ता उपस्थित नही वादी की अदम दायरी अदम पेशी में वादी का वाद खारीज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम है। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी आमेट